

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम-1

पत्रांक:- 24286 /सासाराम-1

दिनांक:- 11/10/25

कृपया:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल सासाराम-1

लेखा में

अधर मुख्य कार्यपालक महाधिकारी-बड़ कपिल
भिवन ग्रामीण पथ विकास समिति
ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना

विषय:- "ग्रामीण पथ सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजना" (समान्य) योजना अंतर्गत में आवंटन हेतु अधिषाधता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक "ग्रामीण पथ सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजना" (समान्य) योजना अंतर्गत कच्चे मर कार्य का भुगतान हेतु अधिषाधता एवं उपयोचित प्रमाण पर विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक कवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनुसूचक:- संलग्न सूची

1. पथ का आवंटन अधिषाधताप्रपत्र
2. उपयोचित प्रमाण पत्र

विष्णु पावन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल सासाराम-1

GFR 12-B
[See Rule 256 (2)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

- (1) Certified that out of the Loan of Rs. 2593.64238, Sanctioned under Letter No-62, date-26.07.25., in favour of 2026, during the year 2025-26 an amount of Rs-2421.26858, has been utilized for the purpose for which it was sanctioned, and that the balance of Rs.172.37380, remaining unutilized at the end of the year 2025, has been surrendered to the Government (vide No.0.00., dated 0.00.25) will be adjusted towards the loan payable during the next financial year.
- (2) Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the loan was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually spent for the purpose for which the loan was made.

Kinds of checks exercised

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Signature.....

Designation.....

Date.....



Executive Engineer
RWD Works Div. Saurashtra

Reprinted from the Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, Vol. 32, 1994, pp. 1-12. © 1994 John Wiley & Sons, Inc.

Notes of the Study Division—November[illegible]

[illegible]

[illegible]

अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि RRSMIP योजनागत :-

1. पत्र/पुनः Shilari Damer To Shalpur में सहाय्य गये गाड़ी गयी गुणवत्ता योग्य की गयी है जो निर्धारित मानक/विशेषियों के अनुसृत्य है।
2. अद्यतन सहाय्य गये गाड़ी गयी गाड़ी सहाय्य गयी पुस्तिका में दर्ज है जिसका संतुष्टापन पत्र लिखा गया है।


सहाय्य निदेशिका
प्रमाणित कार्य विभाग
गार्म अवर प्रमोडल-विभाग


सहाय्य निदेशिका
प्रमाणित कार्य विभाग
गार्म अवर प्रमोडल-विभाग


सहाय्य निदेशिका
प्रमाणित कार्य विभाग
गार्म अवर प्रमोडल, सामान्य-1